सिटी बस सेवा : क्या कारगर हो सकेगी?

फ़रीदाबाद (म.मो.) हरियाणा रोडवेज़ शहर में सिटी बसें चलाने की घोषणा कई वर्षों से करता आ रहा है। पर कोई सिटी बस आज तक सड़कों पर नज़र नहीं आई। अब फ़रीदाबाद डिपो के महाप्रबंधक ने कहा है कि इसी माह से सिटी बस सेवा शुरू कर दी जायेगी और इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

अभी तक इस शहर में लोगों के आवागमन का मुख्य साधन ऑटो रिक्शा ही रहा है। अगर सिटी बस सेवा शुरू कर दी जाती है तो इससे निस्संदेह लोगों को राहत मिलेगी। पर क्या हरियाणा रोडवेज़ इस स्थिति में है कि वह सुचारु ढंग से सिटी बस सेवा चालू कर सके? सिटी बस सेवा शुरू करने के लिए बसों के साथ ही पर्याप्त संख्या में ड्राइवर, कंडक्टर और वर्कशॉप में मेंटेनेंस के लिए स्टाफ़ चाहिए। पर बरसों से सिर्फ़ फरीदाबाद डिपो में इनके सैंकड़ों पद खाली पड़े हैं। स्टाफ़ की कमी के कारण बसें डिपो में पड़ी जंग खा रही हैं और लोग निजी एवं अवैध वाहनों पर बोरों की तरह लद कर यात्रा करने को मजबूर हैं। ये निजी और अवैध वाहन सरकार को टैक्स एवं अधिकारियों को चढ़ावा चढ़ाने के बावजूद भारी मुनाफ़े में चलते हैं, पर हरियाणा रोडवेज़ बराबर घाटे का रोना रोते रहते है, जबकि गत वर्षों में उसने किराये में भी वृद्धि की। फ़िर भी उसका घाटा पूरा नहीं हुआ।

लगभग दो साल पहले राज्य सरकार ने स्वराज मजदा कंपनी से शहर के विभिन्न रूटों पर चलाने के लिए मिनी बसें खरीदी थीं, पर ये मिनी बसें चल नहीं पाईं, क्योंकि इनमें तकनीकी खामियां थीं और इसलिए बाज़ार में इनका कोई खरीददार नहीं था। कंपनी ने मोटा कमीशन देकर इसे हरियाणा सरकार के मत्थे मढ़ा। इसके पूर्व देवीलाल के समय में भी सरकार ने इस तरह की बसों को चलाने की कोशिश की थी जो सफल नहीं हुई। दिल्ली के तर्ज़ पर रोडवेज़ ने लो फ्लोर बसें चलाने की कोशिश भी की पर उनका किराया ज्यादा होने के कारण उन्हें पर्याप्त सवारियां ही नहीं मिलीं। इस तरह यह योजना भी फ्लॉप हो गई।

आज फ़रीदाबाद से गुड़गांव जाने के लिए हज़ारों की संख्या में सवारियां निजी एवं छोटे अवैध वाहनों में ठुंस-ठुंस कर यात्रा करती हैं। एनआईटी के मेट्रो चौक पर गुड़गांव जाने वाली सवारियों की भारी भीड़ हर वक्त एकत्र रहती है। अगर रोडवेज़ इस रूट पर बसें चला दे तो उसे लाभ ही लाभ होगा और सवारियों को भी सुविधा होगी। यात्रियों को छोटे अवैध वाहनों में ठुंस कर यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। पर सरकार का ध्यान तो इस तरफ़ है ही नहीं। सवाल है, अगर निजी वाहन मुनाफ़े में चलते हैं तो फ़िर सरकार को घाटा क्यों होता है? यह तो विशुद्ध मुनाफ़े का कारोबार है। अगर सरकार को घाटा होता है तो यह भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण होता है जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार है।

बहरहाल, जहां तक शहर में सिटी बसों के परिचालन का सवाल है, देखना है कि रोडवेज़ इसके लिए किन बसों का प्रबंध करता है। सिटी बस के रूप में मिनी बसें ही चल सकती हैं। अगर रोडवेज़ खटारा साबित हो चुकी स्वराज मजदा को ही सड़कों पर उतार देता है तो उसकी योजना फ़ेल हो जायेगी। सवाल ड्राइवरों, कंडक्टरों और अन्य स्टाफ़ की कमी का भी है। बरसों पहले कंडक्टरों की बहाली के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी, पर उसका क्या परिणाम निकला और कितने कंडक्टरों की नियुक्ति हुई, इसका कुछ भी पता नहीं चल सका। और सिर्फ़ कंडक्टरों के भरोसे तो सिटी बस सेवा चलाई नहीं जा सकती। बसों की स्टेयरिंग तो ड्राइवरों के हाथों में रहती है। साथ ही वर्कशॉप में मिस्त्री आदि भी पर्याप्त संख्या में होने चाहिए ताकि वे बसों को परिचालन के लिए फ़िट रख सकें। सवाल यह है, किसी भी डिपो में पर्याप्त संख्या में ड्राइवर, कंडक्टर और वर्कशॉप में मिस्त्री आदि क्यों नहीं होते? क्या देश में इनकी कमी हो गई है? हकीकत तो यह है कि न जाने कितने प्रशिक्षित ड्राइवर नौकरी के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। अन्य पदों के लिए भी योग्य अभ्यर्थियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन सरकार खाली पदों पर बहाली ही नहीं करती।

पहले ड्राइवरों, कंडक्टरों और अन्य स्टाफ़ की भर्ती डिपो का जीएम खुद कर लिया करता था। इससे कार्य सुचारु रूप से चलता था। पर अब यह अधिकार जीएम से छीन लिया गया। अब बहालियां करने का अधिकार मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के बीच में लटक रहा है। झगड़ा इस बात पर है कौन इन भर्तियों से राजनीतिक और आर्थिक लाभ कमाये। जहां ड्राइवरों-कंडक्टरों की भर्ती ही अपने आप में एक घोटाला हो तो वहां बसें क्या खाक चलेंगी! रोडवेज़ में व्याप्त कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के बारे में 'मज़दूर मोर्चा' ने पूर्व के अंकों में कई तथ्यपूर्ण समाचारों का प्रकाशन किया है, पर मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और उच्चाधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी।

वैसे, फ़रीदाबाद रोडवेज़ के नवनियुक्त जीएम का कहना है कि शहर में सिटी बसों के परिचालन के लिए स्टाफ़ की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है, कुछ स्टाफ़ की कमी है, इसे भी शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा। परंतु देखने वाली बात यह है कि उनकी घोषणा कितनी सार्थक और कितनी निरर्थक सिद्ध होती है। बताने की जरूरत नहीं कि भाड़े पर ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी तमाम सरकारी महकमों को रिश्वत देने के बावजूद दिन भर में करीब पांच सौ रुपये कमा लेता है, जबकि भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के चलते हरियाणा सरकार का परिवहन बेड़ा घाटे के नाम पर करदाता का अरबों रुपया हड़प कर जाता है।

ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग की बढ़ती समस्या

नीफार्म-एनएचआरसी द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार देश में 70 हजार से लेकर 10 लाख तक महिलाएं और बच्चे सेक्स व्यापार में लगे हुए हैं। इनमें लगभग 30 प्रतिशत 20 वर्ष के अंदर के हैं जब कि 15 प्रतिशत वैसे हैं जिन्होंने जब वेश्यावृति के क्षेत्र में कदम रखा था तब उनकी उम्र 15 साल से भी कम थी। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2004 में दर्ज ट्रैफ़िकिंग के 89 मामलों में 35 मामले सिर्फ बिहार से थे। आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद यह पाया गया कि ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग के मामले में बिहार देश में दूसरे नंबर पर है। ऐसा तब है जब सामान्य स्थिति हो। लेकिन जब बाढ़ जैसी विपदा आती है तो यह समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है। बाढ़ तो बिहार में हर साल आती है और कभी-कभी तो महाप्रलय की स्थिति पैदा कर देती है। ऐसे गंभीर संकट के समय में लड़कियों के दलाल सक्रिय हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर उनका अपहरण शुरू कर देते हैं। कई बार नौकरी दिलाने के बहाने भी उन्हें महानगरों में ले जा कर देह के बाज़ार में बेच दिया जाता है। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश आदि ऐसे राज्य हैं जहां से सेक्स के बाज़ार में सबसे ज्यादा ज़िंदा गोश्त की आपूर्ति होती है। इसका कारण समझना कोई कठिन नहीं है। भयानक गरीबी ही इसका एकमात्र कारण है। झारखंड और मध्यप्रदेश से बड़े पैमाने पर युवतियों को दिल्ली में बढ़िया काम दिलाने का वादा कर दलाल यहां ले आते हैं और फिर उन्हें बीस-पच्चीस हजार में कोठों पर बेच देते हैं। कई बार दलाल गरीब लड़कियों से शादी रचा कर उन्हें दिल्ली और अन्य महानगरों में लाते हैं और कुछ दिनों के बाद कोठों पर उनका सौदा कर देते हैं। ऐसे न जाने कितने मामले उजागर हो चुके हैं। झारखंड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश आदि राज्यों से जिन आदिवासी युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाया जाता है और उन्हें घरेलू नौकरानी के रूप में काम दिलवा भी दिया जाता है तो भी वे यौन शोषण से नहीं बच पातीं। कई मामलों में पहले तो नौकरी दिलवाने वाले प्लेसमेंट एजेंसियों के मालिक-मैनेजर ही उनसे जबरन संबंध बनाते हैं और फिर जहां वे बहाल होती हैं, वहां भी उनकी अस्मत बराबर दाव पर लगी होती है। अभी हाल ही में यह ख़बर आई है कि दिल्ली में अख़बार में विज्ञापन पढ़ कर एक युवती अपनी एक सहेली के साथ नौकरी पाने के लिए एक प्लेसमेंट एजेंसी के दफ़्तर में पहुंची तो वहां उसके साथ बलात्कार किया गया। उसकी सहेली किसी तरह जान बचा कर भागने में सफल हुई। इस तरह की न जाने कितनी ही घटनायें होती हैं जिनमें कुछ ही अख़बारों में छप पाती हैं।

ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग आज इतने लाभ का धंधा हो गया है कि जो माफ़िया गिरोह पहले ड्रग-तस्करी आदि के काम में लगे थे, वे भी इसी धंधे में हाथ आजमाने लगे हैं। इन्होंने अपने दलाल हर क्षेत्रों में छोड़ रखे हैं। सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप देश में महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली इस कदर बढ़ती जा रही है कि बड़े पैमाने पर लड़कियां भी काम करने पर मजबूर हो रही हैं। कस्बों और छोटे शहरों में काम तो मिलता नहीं। उनके आस-पास मंडराते सफ़ेदपोश दलाल ग़रीबी के दलदल में फंसे परिवारों की लड़कियों को महानगरों में काम दिलाने का झांसा देने में सफ़ल हो जाते हैं। वे उनके परिवारों से इतना करीबी संबंध विकसित करते हैं कि परिवार वाले उन पर शक कर ही नहीं पाते। फ़िर वे ज्यादातर पिछड़े और अशिक्षित लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। घर वालों को पेशगी के रूप में कुछ रकम भी दे डालते हैं। इसके बाद अच्छी नौकरी दिलाने के बहाने उन्हें महानगरों में स्थित अंधेरी बस्तियों में लाकर जम कर उनका दैहिक शोषण करते हैं और जी भर जाने के बाद या तो रेड लाइट एरिया में स्थित किसी कोठे पर बेच देते हैं अथवा देह व्यापार करवाने वाले किसी गिरोह को सौंप देते हैं। ऐसा खासकर आदिवासी युवतियों के साथ ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि उनके परिवारों को झांसे में डालना दलालों के लिए ज्यादा आसान होता है। आदिवासी युवतियों की मांग जहां घरेलू नौकरानियों के रूप में है, वहीं देह के बाज़ार में भी उनकी मांग काफ़ी है। **- सोनिया**

जिला उपायुक्त ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के आदेश दिए

जिले में अवैध कॉलोनियों की भरमार, अवैध खनन पर कोई अंकुश नहीं

करनाल (जे के/पी के) जिला प्रशासन के अधिकारी भी अब नेताओं की तरह जनता को सब्जबाग दिखाने में कम नहीं हैं और जब भी मौका मिलता है स्थानीय समाचार पत्रों में ऐसे भ्रामक समाचार छपवा देते हैं मानों कल से ही रामराज्य आने वाला है। हरियाणा सरकार के सख्त आदेश के बाद जिला प्रशासन की नींद अब खुली है। स्थानीय पंचायत भवन में उपायुक्त नीलम प्रदीप कासनी ने जिले के अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर व्यवस्था को ठीक करने के लिये तमाम आदेश दिए। नीलम प्रदीप कासनी ने कहा कि करनाल शहर व निकटवर्ती कस्बों में अवैध रूप से काटी जा रही कालोनियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। जो कलोनियां काटी गई हैं उन्हें पनपने न दें। जिन लोगों ने अवैध कालोनियां काटी हैं, उनकी पहचान की जाये तथा उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं।

उपायुक्त ने जिला अधिकारियों की मासिक बैठक में पुलिस अधीक्षक व एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपते हुये कहा कि इस कार्य को रोकने के लिये उच्चाधिकारियों की एक टीम बनाई जाये तथा इसके लिए पूर्ण रूपरेखा तैयार की जाए। अवैध काटी जा रही कालोनी की सूचना पुलिस को दी जाये ताकि दोषी के खिलाफ तुरन्त केस दर्ज हो सके। यातायात संबंधित समस्याओं के निदान के लिए उपायुक्त ने कहा कि पुलिस अधिकारी वाहनों की चैकिंग करेंगे तथा नियमों का उल्लघंन करने वालों का पुलिस चालान काटेगी। उपायुक्त ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री जिले में चल रहे विकास कार्यों एवं परियोजनाओं का समीक्षा के लिये महीने के अंत तक दौरा कर सकते हैं, इसलिये सभी विभाग अध्यक्ष अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट विशेषत: मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत जारी विकास कार्यों का पूरा खाका तैयार कर लें ताकि पूछने पर उन्हें निरुत्तर न होना पड़े। उन्होंने जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के नियन्त्रक रविन्द्र मलिक को खाद्य आपूर्ति विभाग की कमियों को समय रहते दूर करने के आदेश दिये। उपायुक्त अपने साथ तमाम उन विभागों की सूची लेकर आई थीं जिन से जनता का सीधा सम्पर्क रहता है।

वरिष्ठ राजनेता धर्मपाल गुप्ता ने कहा कि उपायुक्त महोदया नीलम प्रदीप कासनी शायद भूल गईं कि ऐसे आदेश तो पिछले दो साल से दिये जा रहे हैं लेकिन कमोबेश वही अधिकारी जिले में तैनात हैं, आज तक कोई समस्या हल नहीं हो पाई। करनाल सहित जिले में कोई कस्बा नहीं बचा जहां पर अवैध कालोनियों की बाढ़ न आई हो। समाचारपत्रों में पूरे विवरण के साथ कालोनी व काटने वालों का ब्यौरा आता रहता है। निजी तौर पर उपायुक्त व जिला योजनाकार कार्यालय में जा कर शिकायतें दी जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कॉलोनी काटने वाले कोई आम आदमी न होकर सरकार के हिस्सेदार लोग ही हैं। भला प्रशासनिक अधिकारियों की क्या हिम्मत कि जो उन्हें रोक सकें।

सरकार के रसूखदार कॉलोनाईजर बेनामी तौर पर अवैध प्लॉट गरीब आदमियों को कॉलोनी का सपना दिखा कर बेच जाते हैं। और जब वे बेच कर निकल जाते हैं तो दिखावे के तौर पर गरीब आदमी का घरौन्दा उजाड़ कर फोटो सहित खबर छपवा दी जाती है जिसमें लिखा होता है कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। लेकिन गाज तो गिरेगी असहाय पर, अगर दमदार को छेड़ा तो खमियाजा अधिकारी को ही भुगतना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाना चाहते हैं तो केवल अपने प्रदेश के विधायकों व पदाधिकारियों पर लगाम कस दें तो ये अवैध कालोनियों का धन्धा अपने आप बंद हो जायेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला नियन्त्रक जिले भर में सीएलयू के लिये जाने जाते हैं। अगर कहीं भी जमीन के लिये सीएलयू चाहिये तो तुरन्त उपलब्ध करवाने में सक्षम हैं। उपायुक्त महोदया शायद इस सच्चाई से नावाकिफ हैं। उपायुक्त महोदया ने निजी स्कूलों के बारे कहा कि अधिकारी इन पर लगाम लगायें तथा आम आदमी को शिक्षा पाने में मदद करें। क्या उपायुक्त व प्रशासनिक अधिकारी पिछले आठ वर्षों से संघर्ष कर रहे अभिभावक एकता मंच के प्रयासों को अनदेखा नहीं कर रहे हैं? अभिभावक एकता मंच ने जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक शिक्षा के नियमों को लागू करने के लिये संघर्षरत है। क्या किसी भी स्तर पर इनकी सुनी गई या शिक्षा सुधार के लिये कोई कदम उठाया गया? उलटा प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा के लुटेरे निजी स्कूलों के साथ खड़े दिखाई दिये तथा लूट में हिस्सा बांटते रहे। अब अचानक कौन सी जादू की छड़ी चलेगी कि शिक्षा नियमों को लागू कर दिया जायेगा या ये सब कागजी आदेश लागू हो जाएंगे।

बैठक में उपायुक्त ने एक ज्वलन्त मुद्दा उठाया कि जिले में अवैध खनन पर प्रतिबन्ध है लेकिन फिर भी अवैध खननकर्ता बे -रोक टोक नदी व नालों से रेत निकाल रहे हैं और खनन अधिकारी इसका पता नहीं लगा पा रहे जबकि रेत बड़े-बड़े डम्पर व जे सी बी मशीन से निकाला जाता है। अगर कभी कोई पकड़ा गया तो पकड़ में केवल टैक्टर ट्राली आती है। क्या ये सब गुप्त तरीके से हो रहा है या खनन अधिकारी खुद धन्धा चला रहे हैं?

खाद्य आपूर्ति विभाग में काला बाजारी की खबरें, राशन डिपो होल्डर द्वारा की जा रही मनमानी आये दिन समाचार पत्रों में छाई रहती हैं, लेकिन लगभग 20 सालों से वही डिपो होल्डर बने हुये हैं। आज तक कोई डिपो होल्डर नहीं बदला गया। कारण स्पष्ट है कि सब कुछ मिली भगत से हो रहा है। पिछले दिनों उपायुक्त का वक्तव्य अखबारों में छपा था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के 70 प्रतिशत पीले कार्ड गरीब आदमियों के न हो कर रसूखदारों के हैं लेकिन अभी तक प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अशोक जैन ने एक बैठक में तमाम उपरोक्त आरोप लगाते हुए प्रशासन से मांग की कि अधिकारी एक राजनेता की तरह कार्य न करके आम जन को राहत पहुंचाने का कार्य करें। दिखावे का काम करने के लिये राजनेता ही बहुत हैं।